हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अधीन स्थापित)

निविदा सं. 09/2015/हि.प्र.के.वि. **दिनांक : 28.07.2015**

टेंडर आमंत्रण सूचना

हाउसकीपिंग एवं सामान्य सेवाओं हेतु एजेंसियों के एम्पनेल्मेंट के लिए तकनीकी और वित्तीय बोलियों के साथ (दोनों बोलियां अलग-अलग लिफाफों में) मोहरबंद टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं। निबंधन एवं शर्तों सहित टेंडर फॉर्म को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuhimachal.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

इच्छुक एवं पात्रता रखने वाली पार्टियों द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में टेंडरों के साथ प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 500/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और टेंडर दस्तावेज में यथानिर्धारित बयाना राशि **20 अगस्त, 2015 (अपराह्न 03.00 बजे)** तक जमा कराई जाए। टेंडरों को टेंडर दस्तावेज में इंगित तिथि, स्थान और समय पर खोला जाएगा।

कुलसचिव

कैंप कार्यालय, एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम के पास, धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 176215
ईमेल : registrar.cuhimachal@gmail.com, दूरभाष सं. 01892-229330, 229574, फैक्स सं. 229331

Central University of Himachal Pradesh

(Established under Central Universities Act, 2009)

Tender No. 09 /2015/CUHP/NIT **Dated: 28.07.2015**

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tenders consisting of Technical and Financial Bids (Two Bids put in separate envelops) are invited for empanelment of Agency for providing **Housekeeping & General Services**. Tender form along with Terms & Conditions can be downloaded from the University website www.cuhimachal.ac.in.

Interested & eligible parties may submit their tenders in the prescribed format along with Demand Draft amounting to Rs.500/- as processing fees and EMD as stipulated in Tender Document by **20 August, 2015 (3.00 PM)**. The tenders shall be opened on the date, place and time mentioned in the Tender document.

REGISTRAR

Camp Office, Near HPCA Cricket Stadium, Dharamshala, District Kangra, HP – 176215
e-mail : registrar.cuhimachal@gmail.com, Phone No. 01892-229330, 229574, Fax No. 229331

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

पोस्ट बॉक्स नं.- 21, धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 176 215
PO Box: 21, DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH – 176215
Phone No. 01892-229574; Fax No. 01892-229331; website: www.cuhimachal.ac.in

हाउसकीपिंग एवं सामान्य सेवाएं लेने हेतु एजेंसियों की सूची तैयार करने (एमपैनेलमेंट) के लिए निविदा (टेंडर) दस्तावेज

संदर्भ संख्या	09 / 2015 / हि.प्र.के.विवि. / एनआईटी
टेंडर जारी होने की तिथि	28.07.2015
टेंडर दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	20.08.2015 (अपराह्न 03:00 बजे)
टेंडर खोलने की तिथि / समय (तकनीकी बोली)	21.08.2015 (पूर्वाह्न 11:00 बजे)
टेंडर खोलने का स्थान	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) - 176215
पत्र-व्यवहार का पता	कुलसचिव, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) - 176215

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

पोस्ट बॉक्स नं.- 21, धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 176 215

PO Box: 21, DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH – 176215

Phone No. 01892-229574; Fax No. 01892-229331; website: www.cuhimachal.ac.in

हाउसकीपिंग एवं सामान्य सेवाएं लेने हेतु
एजेंसियों की सूची तैयार करने (एमपैनेलमेंट) के लिए
निविदा (टेंडर) दस्तावेज

ख्याति प्राप्त और पात्रता रखने वाली एजेंसियों / बोली लगाने वालों से 'दो बोली' प्रणाली (i) तकनीकी बोली (बगैर मूल्य के) और (ii) वित्तीय बोली (समूल्य) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला की निम्नलिखित साइटों पर कॉन्ट्रैक्ट आधार पर हाउसकीपिंग एवं सामान्य सेवाओं के लिए जनशक्ति (मैनपावर) सेवाएं प्रदान करने के लिए मुहरबंद टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं :

(i) कैंप कार्यालय, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा
(ii) अस्थायी शैक्षणिक खंड (टैब), शाहपुर, जिला कांगड़ा
(iii) कुलपति आवास
(iv) छात्रावास (महिला छात्रावास, धर्मशाला तथा पुरुष छात्रावास, कांगड़ा)
(v) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कोई अन्य साइट

बोली लगाने वालों को टेंडर दस्तावेज के साथ प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) के पक्ष में 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा । इसके अतिरिक्त, कोटेशन के साथ 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) राशि का बयाना जमा (ईएमडी) के रूप में अदाता खाता बैंक डिमांड ड्राफ्ट अथवा हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के नाम से विधिवत गिरवी रखी गई एफ.डी.आर. अथवा निर्धारित प्रोफॉर्मा में बराबर राशि की बैंक गारंटी **(अनुलग्नक-III)** भी जमा करानी होगी ।

सभी दृष्टियों से पूर्ण टेंडर दस्तावेज एक मुहरबंद लिफाफा में जमा कराया जाए और यह **कुलसचिव कार्यालय, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, एच.पी.सी.ए. क्रिकेट स्टेडियम के पास, धर्मशाला (हि.प्र.)** में **दिनांक 20 अगस्त, 2015** के **अपराह्न 03:00 बजे** तक पहुँच जाना चाहिए । टेंडर (तकनीकी बोलियों) को कैंप कार्यालय, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला में **दिनांक 21 अगस्त, 2015** को **पूर्वाह्न 11:00 बजे** खोला जाएगा । निर्धारित समय एवं तिथि के बाद प्राप्त टेंडर, प्रोसेसिंग फीस (शुल्क) अथवा बयाना जमा (ईएमडी) रहित टेंडर, सर्शत टेंडर अथवा अपूर्ण टेंडर अस्वीकार कर दिया जाएगा । विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि किसी एक टेंडर अथवा सभी टेंडरों को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दे । अंतिम रूप से सफल बोली लगाने वाले को विश्वविद्यालय में सेवाएं प्रदान करने से पहले विश्वविद्यालय के साथ विधिक संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) / करार करना होगा **(अनुलग्नक-IV)** ।

नोट :

(i) प्रोसेसिंग फीस (शुल्क) और ईएमडी को मिलाया नहीं जाना चाहिए, अर्थात् प्रोसेसिंग फीस और ईएमडी के लिए अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जाना चाहिए ।

(ii) टेंडर दस्तावेज के बारे में विस्तृत सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.cuhimachal.ac.in** से डाउनलोड किया जा सकता है ।

दस्तावेजों को उपयुक्त आकार के अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में बंद कर जमा कराया जाना चाहिए ।

(क) **लिफाफा 1** में (i) सहपत्र (कवरिंग लेटर) (ii) विधिवत हस्ताक्षरित व मोहर सहित तकनीकी बोली (अनुलग्नक-I) (iii) अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस और ईएमडी; लिफाफा के ऊपर 'तकनीकी बोली' लिखी होनी चाहिए ।

(ख) **लिफाफा 2** में विधिवत हस्ताक्षरित व मोहर सहित वित्तीय बोली और लिफाफा के ऊपर 'वित्तीय बोली' (अनुलग्नक-II) लिखी होनी चाहिए ।

(ग) **लिफाफा 3** में लिफाफा 1 और 2 रखा जाना चाहिए ।

आंतरिक और बाहरी लिफाफों पर कुलसचिव, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) - 176215 का पता और सुस्पष्ट रूप से 'हाउसकीपिंग और सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए टेंडर', संदर्भ सं. 09/2015/हि.प्र.के.विवि./एनआईटी, दिनांक 28.07.2015 लिखा होना चाहिए । लिफाफों (आंतरिक और बाहरी) पर बोली लगाने वाले का भी नाम और पता लिखा होना चाहिए जिससे कि निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त टेंडर / अयोग्य घोषित किए जाने/ अस्वीकार किए जाने की स्थिति में उसे बिना खोले लौटाया जा सके । यदि बाहरी लिफाफा अपेक्षानुसार मोहरबंद और चिह्नित नहीं किया गया है तो बोलियां गलत जगह रखे जाने अथवा समय से पहले खुलने पर विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी । सभी टेंडरों / प्रस्तावों को अंग्रेजी / हिंदी में जमा कराया जाना चाहिए और आंकड़ों को अंकों (रोमन 1, 2, 3.....) एवं शब्दों दोनों में लिखा जाना चाहिए ।

यदि इस दस्तावेज में बाद में कोई संशोधन / शुद्धिपत्र की जाती है, उसे केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ।

बोली लगाने वालों से टेंडर दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने और इसके सभी विनिर्देशों / अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निवेदन है । इस दस्तावेज के विनिर्देशों / अनुदेशों के अपालन की स्थिति में बोली लगाने वाले को टेंडर प्रक्रिया के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :

टेंडर दस्तावेज के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बोली लगाने वाले ब्रिग. जगदीश चंद रांगड़ा, वाईएसमए (सेनि.), कुलसचिव, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला को **दूरभाष सं. 01892-229574** अथवा **ई-मेल : registrar.cuhimachal@gmail.com** के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं ।

पात्रता मानदंड :

तकनीकी बोली से संबंधित लिफाफे में निम्नलिखित होना चाहिए :

1. बोली लगाने वाले विधिवत गठित एक प्रोपाइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड कंपनी अथवा कॉर्पोरेट निकाय होना चाहिए, जिसके पास विधि के अनुसार हाउसकीपिंग और सामान्य सेवाओं के लिए टेंडर खोलने की तिथि से कम से कम 12 महीने तक अपेक्षित लाइंसस, रजिस्ट्रेशन इत्यादि वैध होना चाहिए ।
2. बोली लगाने वाले को मार्च, 2015 तक कम से कम 05 वर्ष का हाउसकीपिंग और सामान्य सेवाएं प्रदान करने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए ।
3. 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि से पिछले 03 वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष का वित्तीय टर्नओवर कम से कम 20 लाख रुपये होना चाहिए ।
4. प्रोप्राइटर / फर्म / पार्टनर अथवा कंपनी (बोली लगाने वाले) के विरुद्ध पुलिस के पास कोई भी मामला लंबित नहीं होना चाहिए ।
5. बोली लगाने वाले के पास निम्नलिखित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इसका विवरण तकनीकी बोली में दिया जाना चाहिए :
   (क) ईपीएफ रजिस्ट्रेशन
   (ख) ईएसआई रजिस्ट्रेशन
   (ग) सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन का साक्ष्य
   (घ) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी वैध लाइसेंस
   (ङ) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन (PAN) प्रमाणपत्र
   (च) कम से कम तीन संगठनों से संतोषजनक निष्पादन प्रमाणपत्र, जहां संविदाकार ने पिछले 03 वर्षों के दौरान हाउसकीपिंग और सामान्य सेवाओं के लिए एक समय में 10 अथवा अधिक व्यक्तियों के समूह की आपूर्ति की हो ।

नोट : उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के समर्थन में साक्ष्य टेंडर दस्तावेज के साथ जमा किया जाए ।

निबंधन एवं शर्त :

1. टेंडरदाता (निविदादाता) / बोली लगाने वाले को दरों को उद्धृत करने से पहले हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय की साइट परिस्थितियों और कार्य-वातावरण से पूर्ण रूप से परिचित होना होगा । दरों को प्रस्तावित करने से पहले उन्हें स्थलों का स्वयं द्वारा सर्वेक्षण कर लेने की सलाह दी जाती है । कार्य सौंपे जाने के बाद किसी परेशानी की स्थिति में कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी ।
2. सबसे पहले तकनीकी बोली को खोला जाएगा और टेंडर समिति द्वारा चयनित पात्र टेंडरदाता ही वित्तीय बोली में भाग ले सकेंगे । टेंडर समिति द्वारा निर्धारित किसी आगामी तिथि को वित्तीय बोली खोली जाएगी ।
3. यदि बोली फर्म द्वारा जमा कराई गई है तो वह उसके प्रत्येक पार्टनर द्वारा अलग-अलग हस्ताक्षरित होनी चाहिए और किसी पार्टनर की अनुपस्थिति की स्थिति में उसकी ओर से

हस्ताक्षर करने के लिए मुख्तारनामा धारित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए । कंपनी के मामले में उक्त कंपनी के संस्थान अन्तर्नियम में दी गई रीति के अनुसार टेंडर हस्ताक्षरित होनी चाहिए । टेंडर पर किए गए हस्ताक्षरों को प्राधिकृत हस्ताक्षर माने जाएंगे ।

4. टेंडर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ को निबंधन एवं शर्तों की स्वीकृति के रूप में फर्म के स्वामी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । यदि टेंडर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है तो टेंडर दस्तावेज के साथ मुख्तारनामा / प्राधिकार-पत्र की प्रति संलग्न की जाए ।
5. सफल बोली लगाने वाले को हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संविदा के निष्पादन प्रतिभूति के तौर पर 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) राशि की बैंक गारंटी जमा कराना अपेक्षित होगा । यह बैंक गारंटी संविदा प्रदान करने के 07 दिनों के अंदर अवश्य जमा हो जानी चाहिए । बैंक गारंटी जमा हो जाने के बाद ईएमडी लौटा दी जाएगी ।
6. कार्यों से संबंधित टेंडर को इसके खुलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि तक स्वीकृत किया जा सकता है । यदि संविदाकार इस वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है तो बयाना जमा राशि जब्त हो जाएगी ।
7. संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद असफल बोली लगाने वालों को उनकी बोली प्रतिभूति (ईएमडी) बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी ।
8. सभी दर प्रस्ताव टंकित अथवा पठनीय स्याही से स्पष्ट लिखे होने चाहिए । सुधार यदि कोई है, उसे बोली लगाने वाले द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।
9. बोली लगाने वाले द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावों को जमा कराने के लिए निर्धारित शर्तों को पूर्ण रूप से सही-सही भरा गया है । दरों और इकाइयों पर उपरिलेखन (overwriting) नहीं होना चाहिए और यह अंकों तथा शब्दों दोनों में होना चाहिए । दरों और इकाइयों को भरने में चूक की स्थिति में भाव पर पूर्णतया विचार नहीं किया जाएगा ।
10. यदि दो या अधिक एजेंसियों द्वारा उद्धृत दर समान पाए जाते हैं तो विश्वविद्यालय की प्राधिकृत समिति द्वारा फर्म की विगत निष्पादन रिपोर्ट, अनुभव की अवधि आदि के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि किसे कार्य का प्रस्ताव दिया जाए । समिति का निर्णय अंतिम होगा ।
11. टेंडर दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में अंतरणीय नहीं है ।
12. इस टेंडर के संबंध में कोई भी परिवर्तन केवल वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित होगा ।
13. बोलियों को जमा कराने के संबंध में उपगत सभी लागत यथा इसे तैयार करने, जमा करने, स्थान देखने में किसी व्यक्तिगत दौरा, बोली स्वयं जमा कराने, इसके उपरांत प्रोसेसिंग आदि पर खर्च का वहन बोली लगाने वाले द्वारा किया जाएगा । टेंडर प्रक्रिया के परिणाम पर ध्यान दिए बिना इसके लिए हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय जिम्मेवार / दायी नहीं होगा ।

14. विश्वविद्यालय परिसरों में हाउसकीपिंग और सामान्य सेवाओं के लिए सभी मशीनरी / उपकरण / सामग्री आदि, यदि आवश्यक हो, की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी ।
15. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को किसी या सभी टेंडरों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार कर देने का अधिकार होगा ।

पढ़ कर स्वीकृत किया
(बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर और मोहर)

विस्तृत निबंधन एवं शर्तें :

1. बोली लगाने वाले द्वारा अपनी एजेंसी के बारे में जानकारी **अनुलग्नक-I** के अनुसार अवश्य दी जाए ।
2. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को निम्नलिखित श्रेणियों में दिन के आठ घंटों और सप्ताह के सातों दिनों के लिए जनशक्ति (मैनपॉवर) की आवश्यकता है :
   (क) **अकुशल (अनस्किल्ड)** : ऑफिस अटेंडेंट, स्वीपर, किचन अटेंडेंट्स
   (ख) **अर्ध-कुशल (सेमी-स्किल्ड) / अकुशल सुपरवाइजरी :** माली
   (ग) **कुशल (स्किल्ड):** ड्राइवर, इलेक्ट्रिशयन, प्लंबंर, टेक्निशियन (कंप्यूटर / लैब), कुक (रसोईया)
   (घ) **क्लरिकल :** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

न्यूनतम योग्यताएं :

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर :

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 अथवा समकक्ष योग्यता

(ख) 30 शब्द प्रति मिनट की अंग्रेजी टंकण गति / 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टंकण गति

टेक्निशियन (कंप्यूटर / लैब) :

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से 10+2 अथवा समकक्ष योग्यता

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थान / आईटीआई से संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा

स्किल्ड ड्राइवर :

(क) मैट्रिक अथवा समकक्ष

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों में अनुभव के साथ / हिमाचल में आरटीओ द्वारा जारी हल्के अथवा मध्यम वाहनों के लिए वैद्य ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस

स्किल्ड प्लंबर तथा इलेक्ट्रिशयन : मान्यता प्राप्त आईटीआई से संबंधित क्षेत्र में डिप्लेमा / सर्टिफिकेट

3. आवश्यक व्यक्तियों की संख्या अस्थायी है और यह समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है । विश्वविद्यालय को आवश्यकतानुसार हाउसकीपिंग के लिए जनशक्ति (मैनपॉवर) को घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार होगा । प्रत्येक मामले में एजेंसी को देय संविदा राशि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार यथानुपात में परिवर्तित हो जाएगी ।
4. भुगतान विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिए गए फॉर्मेट के अनुसार दिए जाएं ।
5. बोली लगाने वाले द्वारा टेंडर के साथ 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की बयाना जमा राशि एफडीआर के रूप में हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पक्ष में विधिवत

गिरवी रखते हुए जमा करायी जाएगी, जिसे बोली लगाने वाले को अयोग्य करार किए जाने/ बोली प्रस्ताव के अस्वीकार होने पर विश्वविद्यालय द्वारा वापस कर दिया जाएगा ।

6. टेंडर की स्वीकृति की स्थिति में, संविदाकार (contractor) निष्पादन प्रतिभूति / बैंक गारंटी के तौर पर हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को एक लाख रुपये जमा कराएगा । यह बैंक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट सौंपे जाने के 07 दिनों के अंतर्गत अवश्य जमा करा दी जाए ।
7. संविदाकार द्वारा काम पर रखे गए स्टाफ परिसर में काम करने के दौरान सत्यापन के लिए हमेशा अपने साथ पहचान-पत्र रखेंगे / पहनेंगे ।
8. संविदाकार अपने कर्मचारियों को विधि की अपेक्षानुसार अपनी लागत पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन यूनिफॉर्म, पहचान-पत्र और सुरक्षा सामग्री प्रदान करेगा । एजेंसी के सभी कार्मिक ड्यूटी के दौरान साफ-सुथरी यूनिफॉर्म पहनेंगे । विश्वविद्यालय द्वारा इन मदों के लिए एजेंसी को कोई भी अतिरिक्त खर्च नहीं दिया जाएगा । एजेंसी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों को दिए जाने वाले यूनिफॉर्म का निर्धारण विश्वविद्यालय के साथ परामर्श के बाद निर्धारित किया जाएगा ।
9. संविदाकार द्वारा तैनात सुपरवाइजर (पर्यवेक्षक) से कार्य-समय के दौरान हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है । वह विश्वविद्यालय के अभिहित अधिकारी अथवा उसके प्राधिकृत नामिती को दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
10. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को संविदाकार के किसी भी व्यक्ति को बदलने का अधिकार होगा और संविदाकार द्वारा इसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति प्रदान किया जाएगा ।
11. एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए स्टाफ शारीरिक ड्यूटी के लिए सक्षम होना चाहिए और 18 वर्ष से कम अथवा 55 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।
12. विश्वविद्यालय द्वारा जनशक्ति (मैनपॉवर) स्क्रीनिंग की जाएगी । उपलब्ध कराए जाने वाले सभी व्यक्तियों का नैतिक चरित्र उत्तम होना चाहिए और संविदाकार द्वारा संबंधित प्राधिकारी से पूर्ववृत्त सत्यापन कराया जाना चाहिए और इसे हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना चाहिए । संविदाकार द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं हो ।
13. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय एक 'धूम्रपान निषिद्ध' क्षेत्र है । संविदाकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हि.प्र.के.विवि. परिसर में कार्य करते समय कोई कर्मचारी धूम्रपान न करे । वे मद्यपान अथवा अन्य मादक पदार्थ का भी सेवन नहीं करेंगे । वे ड्रग का सेवन नहीं करेंगे और पान / खैनी / तंबाकू आदि भी नहीं खाएंगे । वे परिसर में ताश अथवा जुआ नहीं खेलेंगे ।
14. संविदाकार द्वारा तैनात व्यक्तियों का विवरण, नाम, बायोडाटा और चरित्र पूर्ववृत्त सत्यापन की प्रतियां और सभी व्यक्तियों के अद्यतन छायाचित्रों को रिकॉर्ड के लिए विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रदान किया जाएगा । संविदाकार द्वारा इन दस्तावेजों को जमा कराए जाने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाना माना जाएगा ।

15. यथावश्यक अथवा ऐसे कार्य करने के लिए स्थानीय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्देश पर आवश्यक लाइसेंस, परमिट, सहमति, स्वीकृति आदि प्राप्त किए जाए अथवा ऐसे कार्य करने के लिए एजेंसी द्वारा उसे अथवा इस संविदा के लिए प्रयोज्य केन्द्र अथवा राज्य अथवा स्थानीय शासन के समय-समय पर लागू सभी प्रयोज्य कानूनों, नियमों और विनियमों को अपनी लागत से अनुपालन किया जाएगा और इसके लिए, चाहे वह कुछ भी हो, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय की कोई देयता अथवा जिम्मेवारी नहीं होगी ।
16. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अभिहित अधिकारी अथवा उसके / उसकी नामिति को संविदाकार द्वारा तैनात व्यक्तियों की उपस्थिति किसी भी समय जाँचने की स्वतंत्रता होगी और चूक की स्थिति में हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अभिहित अधिकारी द्वारा संविदाकार को देय मासिक भुगतान में से अनुपस्थित कार्मिक की मजदूरी की कटौती होगी और यथाउपयुक्त अर्थदंड आरोपित किया जाएगा । यह अर्थदंड 500/- रुपये प्रतिदिन, प्रति अनुपस्थित व्यक्ति तक हो सकता है । इस संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा ।
17. संविदाकार प्रदान किए गए कार्मिकों की पूर्ण निष्ठा के लिए जिम्मेवार होगा और संविदाकार द्वारा तैनात व्यक्तियों की असावधानी के कारण विश्वविद्यालय की संपत्ति की छुटपुट चोरी / नुकसान / चोरी / कमी के मामले में संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय भुगतान में से अभिहित अधिकारी द्वारा यथानिर्धारित मूल्य वसूल की जाएगी । यदि कुछ राशि वसूली योग्य शेष रहती है तो संविदाकार द्वारा इस बची हुई राशि को विश्वविद्यालय के नोटिस के 15 दिनों के अंदर जमा कराया जाएगा ।
18. संविदाकार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम **(अनुलग्नक-v)** के अंतर्गत यथाअनुमोदित न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जाएगा ।
19. संविदा में तय राशि के अतिरिक्त किसी राशि के भुगतान के लिए हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; उपदान संदाय अधिनियम, 1948 और कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत तथा किसी अन्य सांविधिक देयता का भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाएगा और चालान / रसीद को मासिक बिल के साथ अवश्य संलग्न किया जाए । ठेका श्रम (विनियम एवं उत्सादन) अधिनियम 1970 और श्रम तथा सेवा कानूनों के उपबंधो के अंतर्गत अपने व्यक्तियों के लिए केवल संविदाकार की ही जिम्मेवारी और देयता होगी । संविदाकार द्वारा तैनात की गई श्रमशक्ति के संबंध में उपर्युक्त प्रभाव में प्रमाण-पत्र देते हुए संविदाकार को एक पृथक चालान जमा करना होगा । चालानों की प्रमाणित प्रति बिल के साथ अगले माह अवश्य जमा करायी जाए ।
20. एजेंसी को तय दरों पर उनके द्वारा जमा कराए गए मासिक बिलों के हिसाब से भुगतान किया जाएगा और यह भुगतान एजेंसी द्वारा बिल जमा कराने के 07 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा । संविदाकार को बाह्यस्रोत स्टाफ (आउटसोर्स स्टाफ) के लिए विद्यमान अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत ईएसआई, ईपीएफ के योगदान और अन्य सुविधाओं के

लिए सभी कोडल औपचारिकताओं को संविदा हस्ताक्षरित करने के तीन सप्ताहों के भीतर पूरा करना होगा और इसमें संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य जमा करना होगा । ऐसे साक्ष्यों को जमा करने के बाद ही संविदाकार को प्रथम भुगतान किया जाएगा । विश्वविद्यालय द्वारा आवधिक आधार पर विनिर्दिष्ट सुविधाओं / खाताओं में संविदाकार द्वारा इस प्रकार के नियमित धनप्रेषण की पुष्टि की जाएगी और संविदाकार जरूरत पड़ने पर मांगे गए साक्ष्यों को प्रदान करेगा ।

21. एजेंसी द्वारा तैनात कार्मिक की आने-जाने के समय सहित दैनिक पारी-वार (Shift wise) उपस्थिति रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाएगा और विश्वविद्यालय को मासिक बिलों के साथ इसकी अनुप्रमाणित फोटोकॉपी जमा कराई जाएगी।
22. बिला जमा कराने से पहले एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एजेंसी ने बिल-निर्दिष्ट अवधि के लिए तैनात व्यक्ति को भुगतान कर दिया है ।
23. किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान के लिए निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
24. एजेंसी को संविदा की शर्तों में निर्धारित प्रभारों से अधिक किसी अन्य प्रभार के दावे की किन्हीं भी परिस्थितियों में पात्रता नहीं होगी ।
25. संविदा अवधि के दौरान सरकार द्वारा संशोधित सांविधिक मजूदरी की प्रतिपूर्ति को छोड़कर एजेंसी को देय दरों में कोई भी वृद्धि नहीं होगी ।
26. संविदाकार द्वारा अपने संसाधनों से प्रत्येक माह के सातवें (07वें) तारीख तक स्टाफ को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा ।
27. समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार संविदाकार के बिल से यथाप्रयोज्य टीडीएस तथा अन्य करों की कटौती की जाएगी ।
28. सेवा-कर से छूट : वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 25/2012 - सेवा कर दिनांक 20 जून, 2015 और अधिसूचना सं. 06/2014 - सेवा-कर दिनांक 11 जुलाई, 2014 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को दी जाने वाली हाउसकीपिंग सेवाएं सेवा-कर से छूट-प्राप्त है । अतः संविदाकार द्वारा हि.प्र.के.विवि. को सेवा-कर प्रभारित नहीं किया जाएगा ।
29. निष्पादन प्रतिभूति संविदा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने तथा एजेंसी अथवा उसके कर्मचारियों की कोई भी देयता न होने से संतुष्ट होकर ही संविदा अवधि पूरी होने के 03 माह के बाद बिना ब्याज के जारी की जाएगी । किसी शिकायत के मामले में, प्रतिभूति जमा का उन्मोचन सभी शेष बकायों, देयताओं आदि के समायोजन के बाद ही किया जाएगा, जिसमें भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय से व्यक्तिगत ईपीएफ खाता विवरणों की प्रमाणित प्रति जमा कराते हुए संविदा अवधि के दौरान नियुक्त कर्मकारों के ईपीएफ आहरण, टेंडर में उपयुक्त स्थानों पर यथानिर्दिष्ट, यदि कोई है, सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद कार्यालय आदि से विधिवत प्रमाणित सेवा कर के (माहवार) भुगतान विवरण आदि की रसीद जमा करना आदि शामिल हैं ।

30. एजेंसी के गठन में किसी प्रकार के परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए ।
31. इस संविदा के अंतर्गत नियुक्त सभी कार्मिक एजेंसी के कार्मिक होंगे । एजेंसी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को आमेलित (Absorb) करने और / अथवा हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय अथवा कहीं और कोई रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की संस्तुति करने के लिए हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेवारी / उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
32. बोली लगाने वाले को प्रत्येक श्रेणी में **दो दर** उद्धृत करनी होंगी - **प्रथम** राज्य (हिमाचल प्रदेश) की दरों पर आधारित; **दूसरी** - केन्द्रीय सरकार की दरों पर आधारित । **एकल दरों वाले भावों को अवैध करते हुए रद्द कर दिया जाएगा ।**
33. एजेंसी द्वारा इस समय लागू और समय-समय पर यथा संशोधित विभिन्न श्रम विधियों और अन्य सांविधिक विधियों के अंतर्गत रखरखाव के लिए यथा अपेक्षित ऊपर वर्णित सभी रिकॉर्ड / रजिस्टरों का रखरखाव किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसे सांविधिक प्राधिकारियों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा ।
34. एजेंसी का एक स्थानीय प्रतिनिधि इस संपूर्ण संविदा का प्रभारी और इस संविदा के अंतर्गत दक्ष सेवाओं के लिए जिम्मेवार होगा । हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिसरों में काम करते समय वे हि.प्र.के.विवि. के अभिहित अधिकारी के निर्देशों और मार्गदर्शन में कार्य करेंगे । तथापि, इससे एजेंसी की हि.प्र.के.विवि.के साथ संविदा के अंतर्गत जिम्मेवारी किसी भी प्रकार से कम नहीं होगी ।
35. एजेंसी द्वारा तैनात कर्मी अनुशासित होने चाहिए और उन्हें ऐसे किसी कार्यकलाप में भाग नहीं लेना होगा जो हि.प्र.के.विवि. / भारत सरकार / किसी राज्य / अथवा संघ शासित प्रदेश के हित के प्रतिकूल हो ।
36. यदि एजेंसी का कोई कर्मी किसी मुकदमे में आलिप्त होता है अथवा हि.प्र.के.विवि. में ड्यूटी करने के दौरान किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा असंयत आंदोलनकारियों द्वारा जख्मी कर दिया जाता है तो न्यायालय में उस व्यक्ति के लिए प्रतिवाद अथवा सभी चिकित्सीय और वित्तीय सहायता आदि प्रदान करना हि.प्र.के.विवि. को कोई लागत प्रभारित किए बिना केवल एजेंसी की जिम्मेवारी होगी ।
37. यदि एजेंसी द्वारा किसी विधि के अंतर्गत किसी अथवा सभी बाध्यताओं को पूरा नहीं करने अथवा एजेंसी के किसी कर्मी के ड्यूटी निष्पादन के कारण हि.प्र.के.विवि. को किसी मुकदमे में आलिप्त किया जाता है तो ऐसे वाद, दावों के निपटारे, शास्ति आदि के प्रतिवाद पर आई सभी लागतों का वहन एजेंसी द्वारा किया जाएगा अथवा एजेंसी को देय राशि से और / अथवा हि.प्र.के.विवि. द्वारा धारित प्रतिभूति में से वसूल किया जाएगा ।
38. किसी दुर्घटना और / अथवा नुकसान की स्थिति में, जिसके संबंध में, सभी संशोधनों सहित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर देय हो सकेगा, हि.प्र.के.विवि. के प्राधिकृत

अधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि एजेंसी को देय / देय होने वाली राशि में से उतनी राशि रखे रहे जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से प्रतिकर के अधिनिर्णय को प्राप्त होने पर ऐसी देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाए, और उसे इस राशि से समायोजित किया जाएगा । इसमें हुई राशि की कमी को वसूला जाएगा और राशि अधिक होने पर वापस की जाएगी । इस खंड के अंतर्गत उठने वाले सभी मामलों के लिए हि.प्र.के.विवि.के प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

39. निबंधन एवं शर्तों तथा करार के निर्वचन के संबंध में हि.प्र.के.विवि. का निर्णय अंतिम और एजेंसी के लिए बाध्यकारी होगा ।
40. सफल एजेंसी / बोली लगाने वाले को एक करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
41. हि.प्र.के.विवि. द्वारा प्राधिकृत अधिकारी / समिति एजेंसी द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता और अन्य सभी मामलों के बारे में निर्णय के संबंध में एकल प्राधिकारी होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा ।
42. संविदा अवधि के अंत में / संविदा के समापन पर एजेंसी बिना किसी व्यवधान के (हि.प्र.के.विवि. द्वारा निर्धारित) नए सेवा प्रदाता को प्रभार सौंप देगी । अपालन की स्थिति में, प्रतिभूति जमा जब्त हो जाएगी ।
43. संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकार किए जाने की स्थिति में यह बढ़ाई जा सकती है ।
44. **चेतावनी खंड :** प्रयोक्ता से प्राप्त किसी शिकायत के मामले में तैनात जनशक्ति / आपूर्ति की गई सामग्री में कमी के बराबर राशि की कटौती के साथ निम्नलिखित शास्ति (जुर्माना) आरोपित किया जाएगा :
    (क) पहली शिकायत - मौखिक चेतावनी ।
    (ख) दूसरी शिकायत - लिखित चेतावनी / कारण बताओ नोटिस और 500 रु. का अर्थदंड लगाया जाना ।
    (ग) तीसरी शिकायत - मासिक बिल की ¼ राशि की कटौती ।
    (घ) चौथी / पांचवी शिकायत - संविदा समाप्त और संविदा की बैंक गारंटी जब्त हो जाएगी ।
45.
    (i) किसी निविदाकार को सुने जाने का अधिकार होगा यदि उसे यह लगता है कि उसके टेंडर को गलत ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है ।
    (ii) निविदाकार लिखित अभ्यावेदन भेज सकेगा जिसकी जाँच कुलसचिव अथवा कुलपति द्वारा अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकेगी ।
    (iii) निविदाकार संविदा प्रदान किए जाने की तिथि के पंद्रह दिनों के अंदर ऐसा अभ्यावेदन दे सकता है और अभ्यावेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर इस पर निर्णय लिया जाएगा / जवाब दिया जाएगा ।

46. **समापन :** यदि एजेंसी

(क) किसी अन्य को सेवा (सर्विस) सौंप / सब-कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ।

(ख) इसमें दिए गए किन्हीं निबंधन एवं शर्तों को भंग अथवा इसका उल्लंघन करता है ।

(ग) अनुदेशों के बावजूद सेवाओं के निष्पादन में सुधार नहीं करता है ।

(घ) अनुदेश / करार को भंग करता अथवा तथ्यों को छुपाता है ।

(ङ) यदि एजेंसी को सक्षम न्यायालय द्वारा निविदाकार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है ।

तो एक माह की सूचना देकर संविदा को समाप्त किया जा सकेगा ।

संविदा समाप्त होने पर एजेंसी की यह जिम्मेवारी होगी कि दो दिनों अथवा हि.प्र.के.विवि. द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि के अंदर अपने व्यक्तियों और सामग्री को हटा ले । ऐसे समापन से एजेंसी को हुए किसी भी घाटे की हि.प्र.के.विवि. द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में संविदा के समापन के लिए नोटिस अवधि के दौरान संविदाकार नोटिस अवधि के समाप्त होने तक अपनी ड्यूटी का निर्वाह करता रहेगा ।

47. **शास्ति / जुर्माना :** समापन के किसी खंड के कारण संविदा का समय से पहले समाप्त हो जाने के मामले में प्रतिभूति / जमा राशि जब्त हो जाएगी ।
48. **मध्यस्थता / विवाचन :** निबंधन एवं शर्तों पर किसी विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होने पर इसे हि.प्र.के.विवि. द्वारा नियुक्त किसी एकल मध्यस्थ को इस पर मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा ।
49. **क्षेत्राधिकार :** किसी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार धर्मशाला स्थित न्यायालय होगा ।

कुलसचिव

पढ़ कर स्वीकृत किया
(बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर और मोहर)

<u>निविदाकार द्वारा घोषणा</u>

एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि मैंने / हमने (अधोहस्ताक्षरी) मेरे / हमारे द्वारा हस्ताक्षरित टेंडर दस्तावेज के सभी निबंधन एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इस टेंडर को यथोचित विधिपूर्ण मुख्तारनामा के अंतर्गत हस्ताक्षरित किया और जमा कराया है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि टेंडर दस्तावेज के सभी निबंधन एवं शर्तें मुझे / हमें पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं और मैं / हम सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करूंगा / करूंगी / करेंगे । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस टेंडर के अंतर्गत मुझे / हमें जनशक्ति की आपूर्ति का अवसर दिया जाता है तो मुझे / हमें / हमारे मूल फर्म को इस संविदा को हस्ताक्षरित करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

की ओर से (कंपनी की मोहर)

अनुलग्नक - I

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

भुगतान विवरण

डीडी नं. _____

डीडी राशि _____

बैंक - नाम/शाखा _____

हाउसकीपिंग एवं सामान्य सेवाओं हेतु
<u>तकनीकी बोली के लिए प्रोफोर्मा</u>

तकनीकी बोली में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ इसके स्व-अनुप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें:

1. फर्म / एजेंसी का नाम : _____
2. पंजीकृत पता : _____
3. दूरभाष सं. (लैंडलाइन) : _____
4. फैक्स सं. : _____
5. मोबाइल नं. : _____
6. ई-मेल पता : _____
7. ब्रांच का नाम एवं पता, यदि कोई हो : _____
8. संगठन का प्रकार (एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप / सोसाइटी / प्राइवेट लिमिटेड या सहकारी निकाय आदि) साक्ष्य संलग्न करें : _____
9. संगठन / फर्म के स्वामी / पार्टनर / निदेशकों का नाम : _____

क्र.सं.	**दस्तावेजी प्रमाण**	**संलग्न (हाँ / नहीं)**	**पृष्ठ परिशिष्ट सं. (यदि संलग्न है)**
i.	एजेंसी के निगमन / शुरुआत का प्रमाण		
ii.	हाउसकीपिंग एवं सामान्य सेवा एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु जनशक्ति आपूर्ति के लिए पंजीकरण / लाइसेंस		
iii.	ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण		
iv.	ईएसआई पंजीकरण प्रमाण		
v.	पैन नंबर		
vi.	विगत 03 वर्षों की आयकर विवरणी		
vii.	सेवा कर पंजीकरण प्रमाण		
viii.	श्रम आयुक्त के पास पंजीकरण का प्रमाण		
ix.	कम से कम तीन संगठनों से संतोषजनक निष्पादन प्रमाणपत्र, जहां संविदाकार ने पिछले 03 वर्षों के दौरान हाउसकीपिंग और सामान्य सेवाओं के लिए एक समय में 10 अथवा अधिक व्यक्तियों के समूह की आपूर्ति की हो		
x.	अन्य कोई उपयुक्त सूचना		

फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति के नाम और हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

अनुलग्नक - II

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh

वित्तीय बोली

हाउसकीपिंग एवं सामान्य सेवाओं हेतु
निर्धारित दरों के लिए प्रोफोर्मा

क्र.सं.	भुगतान विवरण (प्रति माह, रुपये में)	अकुशल (अनस्किल्ड)			अर्ध-कुशल / अकुशल सुपरवाइजरी	कुशल (स्किल्ड)					क्लेरिकल
		ऑफिस अटेंडेंट	स्वीपर	किचेन अटेंडेंट	माली	ड्राईवर	इलेक्ट्रीशियन	प्लम्बर	टेक्नीशियन	कुक (रसोइया)	डाटा एंट्री ऑपरेटर
1.	मूल दर (न्यूनतम मजदूरी)										
2.	ईपीएफ										
3.	ईएसआई										
4.	% सेवा प्रभार										
5.	सेवा प्रभार की राशि										
6.	कोई अन्य प्रभार, यदि कोई है (कृपया बताएं)										
7.	प्रति माह कुल देय (अंकों में)										

फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति के नाम और हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

अनुलग्नक - III

बोली प्रतिभूति (ईएमडी) जमा करने संबंधी मॉडल बैंक गारंटी फॉर्मेट

यत: टेंडर सं.....के अंतर्गत.....(टेंडर का नाम) (इसमें इसके पश्चात् टेंडर कहलाएगा) की आपूर्ति के लिए ..... (टेंडरदाता) (इसमें इसके पश्चात् निविदाकार कहलाएगा) ने अपना प्रस्ताव..... (दिनांक) जमा किया है ।

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि.....(निविदाकार), ...(पंजीकृत कार्यालय) के हम .....(नाम) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय (इसमें इसके पश्चात् विश्वविद्यालय कहलाएगा) से.....राशि के लिए आबद्ध है, जिसके लिए उक्त विश्वविद्यालय को सत्यतापूर्वक भुगतान किया जाना है और भुगतान किया जाएगा और बैंक स्वयं तथा अपने उत्तराधिकारी को इसके लिए आबद्ध करती है तथा यह विलेख समनुदेशित करती है । वर्ष 20.....के.....माह .....वें दिन उक्त बैंक की सामान्य मोहर द्वारा सीलबंद किया जाता है ।

इस बाध्यता की शर्तें हैं :

(1) यदि इस टेंडर की वैधता अवधि के अंदर निविदाकार किसी बाबत इसको प्रत्याहृत, संशोधित, ह्रास अथवा अल्पीकृत करता है ।

(2) यदि इस टेंडर की वैधता अवधि के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा निविदाकार के टेंडर की स्वीकृति उसे अधिसूचित किए जाने पर :

   (क) यदि निविदाकार संविदा के सम्यक पालन के लिए निष्पादन प्रतिभूति जमा कराने में असफल रहता है ।

   (ख) सविदा को स्वीकार / निष्पादित करने में असफल अथवा इंकार करता है ।

हम विश्वविद्यालय की उपर्युक्त राशि तक के लिए प्रथम लिखित मांग पर विश्वविद्यालय द्वारा अपनी मांग को सिद्ध किए बिना ही भुगतान करने का वचन देते हैं, बशर्ते विश्वविद्यालय द्वारा अपनी मांग में यह टिप्पणी लिखी जाएगी कि उसके द्वारा इस राशि की मांग ऊपर वर्णित एक अथवा दोनों शर्तों के घटित होने के कारण की गई है, और घटित शर्त अथवा शर्तों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा । यह गारंटी टेंडर की वैधता अवधि के बाद नब्बे (90) दिन शामिल करते हुए इस दिन तक प्रवृत्त रहेगा और बैंक के पास इस बाबत कोई भी मांग ऊपर दी गई तिथि के बाद पहुँचनी नहीं चाहिए ।

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

.....

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

.....

(बैंक की मोहर, नाम और पता तथा बैंक शाखा का पता)

अनुलग्नक-IV

(100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप-पत्र पर)

(सफल बोली लगाने वाले द्वारा विश्वविद्यालय को सेवाएं देने से पहले हस्ताक्षरित किया जाए)

1. यह करार हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (इसमें इसके पश्चात् हि.प्र.के.विवि. कहलाएगा, जब तक संदर्भ के विरुद्ध अपवर्जित न हो, इसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती शामिल हैं) और..... (इसमें इसके पश्चात् संविदाकार कहलाएगा, जब तक संदर्भ के विरुद्ध अपवर्जित न हो, इसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती शामिल हैं) के मध्य (दिनांक).....को किया गया । यह करार (दिनांक) .....से .....तक वैध रहेगा ।
2. यतः हि.प्र.के.विवि. ने.....के लिए हि.प्र.के.विवि. में हाउसकीपिंग एवं सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए टेंडर आमंत्रित किया है ।
3. हि.प्र.के.विवि. ने.....रुपये की राशि में इस कार्य के लिए टेंडर को अनुमोदित किया है । इस कार्य को अभिहित अधिकारी के निर्देशानुसार सम्पन्न किया जाएगा ।
4. प्रत्येक मद के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं की परिधि को हि.प्र.के.विवि. और संविदाकार के परस्पर निर्णय से आवश्यकतानुसार बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है । उस मद के लिए मासिक देय को पहले ही अनुमोदित दर के अनुसार बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है ।
5. प्रांरभ में संविदा अवधि.....से.....तक के लिए होगी, जिसे दोनों पार्टियों की सहमति से अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया भी जा सकता है । निम्नलिखित दस्तावेजों को संविदा के अभिन्न भाग के रूप में संलग्न और इसकी पार्टियों की ओर से आद्यक्षरित किया गया है :
   (क) टेंडर दस्तावेज
   (ख) कीमत बोली सं.....
   (ग) पत्र सं.....
6. दक्षतापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करने की एकमात्र जिम्मेवारी निविदाकार की होगी और उनकी ड्यूटी के दौरान बेईमानी, चोरी, मौनानुकूलता अथवा प्राकृतिक आपदा छोड़कर किसी अन्य कारण से संस्थान की कोई हानि / संस्थान की सामग्री में कमी होती है, इसकी वसूली एजेंसी से की जाएगी ।
7. किसी हानि अथवा अन्य आकस्मिकता के मामले में संविदाकार हि.प्र.के.विवि. के परामर्श से विधि के अंतर्गत अपेक्षित सभी कदम उठाएगा ।
8. संविदाकार ने हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के पक्ष में विधिवत गिरवी रखते हुए.....तक नवीकृत "मांग पर देय जमा राशि" सं.....के रूप में.....(.....रुपये) की निष्पादन प्रतिभूति जमा कराई है, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
9. पार्टियों के मध्य संविदा, निबंधनों के निर्वचन अथवा किसी भी दावे के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने के मामले पर निर्णय के लिए कुलपति, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला अथवा उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति एकमात्र मध्यस्थ होगा और माध्यस्थम् एवं सुलह

अधिनियम 1996 के उपबंध लागू होंगे । संविदाकार को अभिहित मध्यस्थ अथवा उनके द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी । माध्यस्थम् कार्यवाहियों का स्थान धर्मशाला होगा ।

10. विश्वविद्यालय परिसरों के लिए आवश्यक सभी मशीनरी / उपकरणों / सामग्री आदि हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी ।
11. संविदाकार द्वारा इन सेवाओं के लिए संविदा को किसी अन्य एजेंसी अथवा व्यक्ति(यों) को उप-पट्टे पर प्रदान नहीं किया जाएगा ।
12. इस कार्य के लिए संविदाकार को दी जाने वाली राशि अनुमादित दर के अनुसार सेवा प्रभार सहित होगी ।
13. संविदाकार विभिन्न सांविधिक बाध्यताओं यथा ईपीएफ, ईएसआई, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम तथा समय-समय पर लागू अन्य विधियों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा ।
14. संविदाकार प्रत्येक माह के बिल के साथ ईपीएफ एवं ईएसआई जमाओं के चालानों की फोटोप्रतियां जमा करेगा ।
15. संविदाकार इस संविदा के फलस्वरूप उसकी जानकारी में आने वाले सभी मामलों के संबंध में पूर्ण सुरक्षा बरकरार रखेगा ।
16. राष्ट्रीय अवकाशों तथा रविवार के दिवसों पर कार्य संबंधित अनुदेशों / मार्गदर्शनों के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी संविदाकार की होगी ।
17. चूंकि कार्मिक संविदाकार के कर्मचारी होंगे, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय का उनके साथ कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वास्ता अथवा संबंध नहीं होगा । सभी सांविधिक बाध्यताओं का निर्वाह संविदाकार द्वारा किया जाएगा और हि.प्र.के.विवि. की इस बाबत कोई देयता नहीं होगी ।
18. संविदाकार बेहतर आउटपुट और परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ का आवधिक आधार पर परिवर्तन सुनिश्चित करेगा ।
19. यह दोनों पार्टियों द्वारा स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि यह करार एक वाणिज्यिक करार है और इससे किसी प्रकार का कोई नियोजन जनित नहीं होगा ।
20. संविदाकार द्वारा पिछली माह से संबंधित पूर्ण विवरण के साथ समेकित बिल अगले माह के तीसरे दिन तक जमा कराया जाएगा । हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्यक् जाँच के बाद विश्वविद्यालय में बिल जमा होने के माह में ही सातवें दिन तक संविदाकार को अपेक्षित भुगतान करेगा ।
21. संविदाकार के कर्मकार कंपनी के साथ संविदा के संसर्गी नहीं होंगे और हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा संविदाकार के कर्मकारों के मध्य किसी भी स्वरूप के स्वामी नौकरी का संबंध नहीं होगा ।
22. संविदाकार द्वारा तैनात कर्मी की उपेक्षा के कारण किसी भी हानि के सिद्ध होने पर संविदाकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी ।
23. जब भी सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया जाएगा, संविदाकार को प्रत्येक माह देय संविदा राशि की समीक्षा होगी ।
24. संविदाकार ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियम 1971 के उपबंधों का अनुपालन करेगा ।

25. संविदाकार अथवा उसके प्रतिनिधि बेहतर समझ और दक्ष कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारी के निरंतर संपर्क में रहेंगे ।
26. सभी रिकॉर्ड, उपस्थिति रजिस्टर और दस्तावेजों को संविदाकार द्वारा रखा जाएगा तथा इसका रखरखाव किया जाएगा ।
27. संविदाकार कार्य प्रारंभ करने से पहले उसके द्वारा तैनात कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी देने की प्रतिबद्धता, समय-समय पर यथा संशोधित श्रम अधिनियम, 1970, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुपालन संबंधी एक वचन-पत्र भी जमा कराएगा । संविदा के अंतर्गत सभी सुसंगत सांविधिक निकायों से अनापत्ति प्रमाण-पत्रों को जमा कराने के बाद ही प्रतिभूति जमा जारी किया जाएगा ।
28. टेंडर के वैसे निबंधन जो इस संविदा में वर्णित नहीं हैं, वे भी सभी आशय और उद्देश्य के लिए लागू होंगे और इस संविदा के भाग होंगे ।
29. निबंधन एवं शर्तों तथा संविदा करार के निर्वचन के संबंध में हि.प्र.के.विवि. का निर्णय अंतिम और संविदाकार पर बाध्यकारी होगा ।
30. हि.प्र.के.विवि. को हुई किसी भी हानि अथवा संविदा के निबंधन एवं शर्तों के भंग किए जाने के मामले में हि.प्र.के.विवि. को प्रतिभूति से संविदाकारके विरुद्ध सभी दावों की कटौती का अधिकार होगा और दावे के अनुसार हि.प्र.के.विवि. को प्रतिभूति राशि में से अंशत: पर अथवा संपूर्ण दावे राशि की कटौती करने का अधिकार होगा ।
31. यदि संविदा की अवधि के दौरान संविदाकार हट जाता है तो हि.प्र.के.विवि. को बिना किसी प्रतिदाय के प्रतिभूति राशि को जब्त कर लेने का अधिकार होगा और संविदाकार द्वारा हि.प्र.के.विवि. को पाँच लाख रुपऐ की राशि के भुगतान की देयता होगी ।
32. **चेतावनी खंड :** प्रयोक्ता से प्राप्त किसी शिकायत के मामले में तैनात जनशक्ति / आपूर्ति की गई सामग्री में कमी के बराबर राशि की कटौती के साथ निम्नलिखित शास्ति (जुर्माना) आरोपित किया जाएगा :
    (क) पहली शिकायत - मौखिक चेतावनी ।
    (ख) दूसरी शिकायत - लिखित चेतावनी / कारण बताओ नोटिस और 500 रु. का अर्थदंड लगाया जाना ।
    (ग) तीसरी शिकायत - मासिक बिल की ¼ राशि की कटौती ।
    (घ) चौथी / पांचवी शिकायत - संविदा समाप्त और संविदा की बैंक गारंटी जब्त हो जाएगी ।
33.
    (i) किसी निविदाकार को सुने जाने का अधिकार होगा यदि उसे यह लगता है कि उसके टेंडर को गलत ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है ।
    (ii) निविदाकार लिखित अभ्यावेदन भेज सकेगा जिसकी जाँच कुलसचिव अथवा कुलपति द्वारा अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकेगी ।
    (iii) निविदाकार संविदा प्रदान किए जाने की तिथि के पंद्रह दिनों के अंदर ऐसा अभ्यावेदन दे सकता है और अभ्यावेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर इस पर निर्णय लिया जाएगा / जवाब दिया जाएगा ।
34. **समापन :** यदि एजेंसी
    (क) किसी अन्य को सेवा (सर्विस) सौंप / सब-कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ।
    (ख) इसमें दिए गए किन्हीं निबंधन एवं शर्तों को भंग अथवा इसका उल्लंघन करता है ।

(ग) अनुदेशों के बावजूद सेवाओं के निष्पादन में सुधार नहीं करता है ।

(घ) अनुदेश / करार को भंग करता अथवा तथ्यों को छुपाता है ।

(ङ) यदि एजेंसी को सक्षम न्यायालय द्वारा निविदाकार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है ।

तो एक माह की सूचना देकर संविदा को समाप्त किया जा सकेगा ।

संविदा समाप्त होने पर एजेंसी की यह जिम्मेवारी होगी कि दो दिनों अथवा हि.प्र.के.विवि. द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि के अंदर अपने व्यक्तियों और सामग्री को हटा ले । ऐसे समापन से एजेंसी को हुए किसी भी घाटे की हि.प्र.के.विवि. द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में संविदा के समापन के लिए नोटिस अवधि के दौरान संविदाकार नोटिस अवधि के समाप्त होने तक अपनी ड्यूटी का निर्वाह करता रहेगा ।

35. **शास्ति / जुर्माना :** समापन के किसी खंड के कारण संविदा का समय से पहले समाप्त हो जाने के मामले में प्रतिभूति / जमा राशि जब्त हो जाएगी ।
36. **मध्यस्थता / विवाचन :** निबंधन एवं शर्तों पर किसी विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होने पर इसे हि.प्र.के.विवि. द्वारा नियुक्त किसी एकल मध्यस्थ को इस पर मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा ।
37. **क्षेत्राधिकार :** किसी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार धर्मशाला स्थित न्यायालय होगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप दोनों पार्टियों ने धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश में साक्षियों के सामने मोहर के साथ अपने-अपने हस्ताक्षर किए ।

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय (हि.प्र.के.विवि.), धर्मशाला

साक्षी :

1.

2.

एजेंसी (_____)

साक्षी :

1.

2.

अनुलग्नक-V

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप-पत्र पर**)**

शपथ-पत्र

.....द्वारा, हि.प्र.के.विवि. को निम्नलिखित वचन दिया जाता है :

(क) यह कि.....द्वारा तैनात अपने स्टाफ को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान जारी किया जाएगा ।

(ख) यह कि.....केन्द्रीय श्रम अधिनियम, 1970; ठेका श्रम केन्द्रीय नियम, 1971; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम; भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 अथवा भारत सरकार या हिमाचल सरकार द्वारा अधिनियमित कोई अन्य अधिनियम / नियम / संविधि का अनुपालन करेगा ।

(ग) यह कि.....हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ **हाउसकीपिंग तथा सामान्य सेवाओं** के लिए करार में वर्णित सभी खंडों का पालन करेगा ।

प्रमाणीकरण :

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त शपथ-पत्र के तथ्य हमारी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।